



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295।

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी-6, 2015/माघ 17, 1936

No. 295।

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2015/MAGHA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(तदीय विभिन्नमन द्वेष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4. फरवरी, 2015

का.आ. 383(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 6 जनवरी, 2011 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध III के मद II के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण : सीआरजेड -II द्वेष में तट रिसोर्टी या होटलों के विकास के लिए, मद । की उप-मद (ग), उप-मद (घ), उप-मद (ड.), उप-मद (च), उपमद (छ), उप-मद (ठ), उप-मद (ण), उप-मद (थ), उप-मद (द) और मद II लागू होंगे।”

[फा. सं. जे-17011/18/96-आईए-III]

विधनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (ii), तारीख 6 जनवरी, 2011 में संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(COASTAL REGULATION ZONE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2015.

S.O. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 6th January, 2011, namely:—

In the said notification, in Annexure-III, after item II, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note: For the development of beach resorts or hotels in the CRZ-II area, the guidelines at sub-items (c), (d), (e), (f), (g), (n), (o), (q), (r) of item I and at item II shall be applicable.”

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary; Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6th January, 2011 *vide* number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011.